

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 112/2019

निर्णय दिनांक — 10.06.2019

1. गिरजाशंकर पिता गोविन्द जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. प्रहलाद पिता गोविन्द जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. दिनेश पिता गोविन्द जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
4. अंगुरबाला पुत्री गोविन्द जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
5. कृष्णा पुत्री गोविन्द जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
6. सुनीता पुत्री गोविन्द जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— प्रार्थीगण

//बनाम//

1. रूकमण बाई पत्नी रामचन्द्र जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
2. मांगीलाल पिता सेवारामजी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 299 की आराजी नं0 1707 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 1708 रकबा 0.0200 हैक्टेयर आराजी नं0 1710 रकबा 0.1200 हैक्टेयर आराजी नं0 1711 रकबा 0.0900 हैक्टेयर आराजी नं0 1718 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 299 की आराजी नं0 1707 रकबा 0.1000 हैक्टेयर आराजी नं0 1708 रकबा 0.0200 हैक्टेयर आराजी नं0 1710 रकबा 0.1200 हैक्टेयर आराजी नं0 1711 रकबा 0.0900 हैक्टेयर आराजी नं0 1718 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

